Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Apeal Case No.- 120 /2022]

Shiv Narayan Yadav and Others. ....Appellant

Versus

Lodhay Yadav and Others. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

20.8.2025

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-3/2021 में दिनांक-20.5.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
सिमरी बख्तियारपुर	रामपुर/32	32	1077	0-15-16 धुर
			1115	0-5-4 धुर
			1121	0-8-11 धुर

दिनांक-8.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि उक्त विवादित भूमि उचित मंडल द्वारा अपने लड़के अयोधी मंडल व लोधाय मंडल के नाम से तथा विरंची मंडल स्वयं अपने नाम से निबंधित केवाला सं0-843 दिनांक-01.3.1956 को मसो0 तौनकी, पति-जानकी भगता से क्रय किये। तथा उक्त केवाला के लेख्यकारी को आधा-आधा खर्च देकर आधे-आधे हिस्से का हकदार व दखलकार हुए। जबकि विपक्षीगण का दावा है कि विरंची मंडल, अयोधी मंडल व लोधाय मंडल ने केवाला का खर्चा बचाने के लिए प्रश्नगत जमीन का क्रय संयुक्त निबंधित केवाला सं0-843 दिनांक-01.3.1956 से किया किन्तु केवाला का खर्चा तीनों खरीददार ने अलग-अलग दिया। इस तरह विरंची मंडल, आयोधी मंडल व लोधाय मंडल समान रूप से एक तिहाई हिस्से के हकदार हुए।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति परिलक्षित है कि प्रश्नगत जमीन उभय पक्ष के पूर्वज द्वारा संयुक्त निबंधित केवाला द्वारा खरीदगी की गई। तथा यह कि केवाला के लेख्यधारी तीन लोगों को एक तिहाई हिस्सा प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा इस आशय का दावा कि उनके पिता विरंची मंडल को 50 प्रतिशत जमीन का हिस्सा मिला था को प्रमाणित करने हेतु संगत साक्ष्य सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया गया। केवाला के अनुसार लेख्यधारी को समान हिस्सा अर्थात एक तिहाई हिस्सा मिलने का विपक्षी का दावा विधिमान्य प्रतीत होता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Finding के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Raje k.
20/8/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raje k.
20/8/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।